

2023/41

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलक्टर मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी :- नरपत सिंह पुत्र आसूसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी भवाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 ।

बनाम्

अप्रार्थीगण :- नाथू सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रावणा राजपुत निवासी भवाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह ।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 06 सन्-.....2023..

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
10.01.2023	<p>प्रार्थी नरपत सिंह पुत्र आसूसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी भवाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण नाथू सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रावणा राजपुत निवासी भवाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह का पेश किया । प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो ।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री मो0 अली शेरानी को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया । रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद भवाद , पटवार हल्का खरवालिया के खसरा सं0 412 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 413 रकबा 5.7900 हैक्टे0, खसरा सं0 416 रकबा 3.9800 व खसरा सं0 241 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 242 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 488 रकबा 1.1700 की भूमि में अप्रार्थी सं0 1 व 2, प्रार्थी के हक हिस्से तक बेचान नही करें व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें ।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा । 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें । 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जावें । अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 03.02.2023 को पेश हो । <p>सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	

3/2/23

पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अस्तसती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 31/3/23 को पेश हो ।

